भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1213

जिसका उत्तर 30.07.2025 को दिया जाना है

महाराष्ट्र में अंतर-राज्यीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

1213 # डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय को महाराष्ट्र से जुड़े अंतर्राज्यीय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने शिरुरु, जांब, मुखेड़, नरसी, बिलोली, बोधन, कंकुर्ती, निजामाबाद जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाले मार्गों को इन क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय ने इस परियोजना के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ कोई चर्चा की है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार को समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) से राज्यीय राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य की सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित/उन्नयन करने के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पर निर्णय संपर्क की आवश्यकता, यातायात घनत्व, पारस्परिक प्राथमिकता और प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल संबंधी व्यापक सिद्धांतों के आधार पर लिए जाते हैं।

(ख) बोधन, कंकुर्ती और निजामाबाद को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग-63 के रूप में घोषित किया गया है, जबकि वर्तमान में शिरुरु, जांब, मुखेड़, नरसी, बिलोली, बोधन को जोड़ने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

*****